

CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME (HEAD QUARTER)
(Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)
Sector-12, RK Puram, New Delhi-110022.

CIRCULAR FOR PENSION ADALAT

CGHS, Delhi/NCR has decided to hold Pension Adalats in pursuance of DoPT letter No. F.1/12/2019-P&PW(E) Pt. dated 29/7/2019 on 23/8/2019 (Friday) from 10 AM to 1 PM at the following locations:

1. Office of Additional Director, CGHS(HQ), Sector-12, RK Puram, New Delhi-22.
 2. Office of Additional Director, CGHS(East Zone), Vikas Marg, Laxmi Nagar, New Delhi-92.
 3. Office of Additional Director, CGHS(North Zone), Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi-60.
 4. Office of Additional Director, CGHS(South Zone), Sector-8, RK Puram, New Delhi-22.
 5. Office of Additional Director, CGHS(Central Zone), Chitragupta Marg, Aram Bagh, New Delhi-55.
 6. Office of Additional Director, CGHS(MSD), Udayan Marg, Gole Market, New Delhi-01.
2. Pensioners who have any grievances regarding the pension are requested to attend the Pension Adalat at the respective Zone/Office from where they have superannuated/retired on the day & time as mentioned above along with relevant documents.

(Dr. Sanjay Jain)
Addl. Director
CGHS (HQ)

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुख्यालय
(भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
सेक्टर - 12, आर. के. पुरम, नई दिल्ली -110022

पेंशन अदालत के लिये परिपत्र

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने निम्नलिखित स्थानों पर दिनांक 23-8-2019 (शुक्रवार) को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक डी.ओ.पी.टी. (DoPT) के पत्र संख्या F.1/12/2019-P&PW(E) Pt. दिनांक 29-7-2019 के अनुसरण में पेंशन अदालतें आयोजित करने का निर्णय किया है ।

1. कार्यालय अपर निदेशक, के.स.स्वा.यो. मुख्यालय, सेक्टर-12, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-22.
2. कार्यालय अपर निदेशक, पूर्वी क्षेत्र के.स.स्वा.यो., विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-92.
3. कार्यालय अपर निदेशक, उत्तर क्षेत्र के.स.स्वा.यो., शंकर रोड, न्यू राजिंदर नगर, नई दिल्ली-60.
4. कार्यालय अपर निदेशक, दक्षिण क्षेत्र के.स.स्वा.यो., सेक्टर- 8, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-22.
5. कार्यालय अपर निदेशक, केन्द्रीय क्षेत्र के.स.स्वा.यो., चित्रगुप्त रोड, अराम बाग, नई दिल्ली-55.
6. कार्यालय अपर निदेशक, मेडिकल स्टोर डिपो. के.स.स्वा.यो., उदयन मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली-01.

2. जिन पेंशनभोगियों को पेंशन के बारे में कोई शिकायत है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे संबंधित दस्तावेजों के साथ उपर्युक्त दिन और समय पर उपरोक्त क्षेत्र/कार्यालय के पेंशन आदालत में उपस्थित हों जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं ।

(डा. संजय जैन)
अपर निदेशक
के.स.स्वा.यो. (मुख्यालय)